Title : Regarding clearance of agriculture loan by farmers in Madhya Pradesh-Laid.

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में हुए चुनाव उपरांत सत्तारूढ़ दल द्वारा किसानों का दो लाख रूपये तक का कर्जा माफ करने की बात कर चुनाव लड़ा गया था किंतु कुछ किसान के ही कर्ज माफ हुए । अनेक किसान हैं जिनके कर्ज माफ नहीं हो पाये है हजारों किसान इस आस में रहे किं कर्जा माफ होगा पर कर्जा माफ न होने के कारण वे बैंक/सहकारी समितियों से डिफाल्टर की श्रेणी में चले गये । उनके द्वारा बेची जाने वाली फसल का सारा पैसा कर्जे मे कटने लगा । मूलधन उनका कटा नहीं है इसलिए ब्याज पर ब्याज बढ़ता चला गया । किसान इस चिंता में कि उनका पैसा कर्ज के रूप में सहकारी समितियों/बैंक द्वारा काट लिया जायेगा वे स्थानीय व्यापारियों को अपनी फसल कम दाम पर बेचने के लिए बाध्य होते रहें जिससे किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है । 4 साल हो गये किसान का कर्जा नही अदा हो पा रहा है जिससे मूलधन का ब्याज पर ब्याज बढ़ता जा रहा है ।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया है कि किसानों के ब्याज का पैसा सरकार अदा करेगी तथा किसान मूलधन अदा करे । इसलिए मै आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों को उनके मूलधन की जानकारी दें जिससे किसान अपना खाता क्लियर कर डिफाल्टर होने से बचे ।